

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-08042022-234977
SG-DL-E-08042022-234977

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 7, 2022/चैत्र 17, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 5
No. 226]	DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 2022/CHAITRA 17, 1944	[N. C. T. D. No. 5

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 अप्रैल, 2022

सं. फा.1/11/2010-न्यायिक/Suptlaw/645-647.—सार्वजनिक सूचना के लिए एतद्वारा निम्नलिखित रूप में प्रकाशित किया जाता है:-

विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 8(ए) में अन्तर्विष्ट अनुबन्धों का अनुसरण करते हुए दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम 2002 जिसे उच्च न्यायालय विधिक सेवाएं समिति, अधिनियमन 1998 के अधिनियम 3(3) के साथ पढ़ते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय/मुख्य संरक्षक, दि.रा.वि.सेवा.प्रा. के दिनांक 25.08.2021 के आदेश से दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवाएं समिति के संबंध में निम्नलिखित सदस्यों को दिनांक 25.09.2021 से सहर्ष मनोनीत किया जाता है।

क्रम सं.	नामित सदस्य का नाम	वर्ग/ अधिनियम जिस के अंतर्गत नियुक्त किया गया है।
1.	श्री अशोक कुमार, कार्यकारी निदेशक, डा. ए. वी. बलिगा मेमोरियल ट्रस्ट	अधिनियमन के वर्ग 4(ए) के अंतर्गत
2.	सुश्री रेबिका एम. जान, वरिष्ठ अधिवक्ता	अधिनियमन के वर्ग 4(बी) के अंतर्गत
3.	डा. जितेन्द्र नागपाल, वरिष्ठ परामर्शदाता, मानसिक स्वास्थ्य	अधिनियमन के वर्ग 4(सी) के अंतर्गत
4.	प्रो. श्रीकृष्णा देवा राव, उप-कुलपति और विधि प्रोफेसर, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली	अधिनियमन के वर्ग 4(डी) के अंतर्गत

हस्ताक्षरित

कंवल जीत अरोड़ा (सदस्य सचिव)
माननीय मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय
एवं प्रधान संरक्षक, डी.एस.एल.एस.ए. के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय तथा विधायी कार्य)

**DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS
NOTIFICATION**

Delhi, the 7th April, 2022

No. F. 1/11/2010-Judl./Suptlaw/645-647.—The following is hereby published for general information of the Public:-

In pursuance to the provision contained in section 8A of Legal Services Authorities Act, 1987, as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 2002 read with Regulations 3 (3) of High Court Legal Services Committee, Regulations 1998, the Hon'ble Chief Justice, High Court of Delhi/Patron-in-Chief, DSLSA vide his Lordship's orders dated 25.08.2021 has been pleased to nominate the following Members w.e.f. 25.09.2021 in respect of Delhi High Court Legal Services Committee.

S. No.	Name of Nominated Member	Category/Regulation under which appointed
1.	Mr. Ashok Kumar, Executive Director, Dr. A. V. Baliga Memorial Trust	Under Category 4(a) of the Regulations.
2.	Ms. Rebecca M. John, Senior Advocate	Under Category 4(b) of the Regulations.
3.	Dr. Jitendra Nagpal, Senior Consultant-Mental Health	Under Category 4(c) of the Regulations.
4.	Prof. Srikrishna Deva Rao, Vice Chancellor and Professor of Law, NLU, Delhi	Under Category 4(d) of the Regulations.

Sd-

Kanwal Jeet Arora (Member Secretary)
By Order of the Hon'ble Chief Justice,
High Court of Delhi & Patron-in-Chief, DSLSA,
SANJAY KUMAR AGGARWAL, Pr. Secretary (Law, Justice & L.A)